<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बिरौल, दरभंगा</u>
<u>C.R. Case No. - 282/2007</u>

मसोमात फुलिया देवी बनाम चुन्नु पासवान एवं अन्य

<u>**01.08.2026**</u>

प्राथमिकी अप्राप्त।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत अभिलेख में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष कुशेश्वरस्थान को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु भेजा गया है। इसके बावजूद प्राथमिकी न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्देशानुसार पुराने वादों को यथाशीघ्र निष्पादित करना है। प्रस्तुत वाद काफी पुराना है। पत्राचार करने के पश्चात् भी प्राथमिकी न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है तथा निकट भविष्य में न्यायालय में समर्पित होने की सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद को निष्पादित किया जाता है। भविष्य में थानाध्यक्ष कुशेश्वरस्थान के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में समर्पित करने के पश्चात वाद में अग्रिम कारवाई पुनः शुरू की जायेगी।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम
बिरौल, दरभंगा